सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी ने सूचना के अधिकार की धज्जयाँ उड़ाई

सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत आवेदक ने कंपनी में हुए अपराध से संबंधित दस्तावेजों की मांग की। सूचना आयुक्त ने आवेदक से चाहे गये दस्तावेज भ्रष्टाचार व अपराध से संबंधित है इस संबंध में शपथ पत्त देने का कहा । निर्णय में उन्होंने शपथ पत्त को नजरअंदाज किया और बीमा कंपनी के अधिकारीयों को बचाने की नियत से कानून के विपरित निर्णय पारित किया।

सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी के निर्णय के विरुद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि यदि ऐसे निर्णय सूचना आयुक्त द्वारा लिये जाएगे तो सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देष्य ही समाप्त हो जावेगा और सूचना आयुक्त मनमानी कर लोकसेवकों के हाथो की कठपुतली बन जाएगे

नई-दिल्ली- सूचना का अधिनियम,२००५ का मूल उद्देष्य सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाने के किया गया है इस अधिनियम में प्रत्येक लोकसेवकों के आचरण व उनके द्वारा उनके कार्यालयीन कार्यो की समिक्षा व उनके कार्यकलापों पर नजर रखने का अधिकार प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है। इसी वजह से भ्रष्ट लोकसेवकों पर अंकुश लगाये जाने के लिये यह एक सबसे अचुक शस्त्र है।

भ्रष्ट लोकसेवकों के हौसले इतने बुलंद हो चुके है कि वे इस कानून में किसी प्रकार रद्दोबदल करने के लिये एडी से चोटी का जोर लगा रहे है। इस काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले कई लोग शमिल है। जिसमें से एक शक्स है केन्द्रीय सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी जिन्होंने सूचना के अधिकार का उद्देष्य ही बदल दिया है।

केन्द्रीय सूचना आयुक्त के द्वारा पारित आदेश जिसमें लोकसेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज मांगे जाते है उनका निर्णय कानून की परीधी में रहकर नहीं कर रहे है । ऐसा प्रतित होता है कि वे किसी न किसी तरह भ्रष्ट लोकसेवकों की मदद कर रहे क्योंकि उनके द्वारा पारित आदेश न तो स्पीकींग आदेश होते है उनके द्वारा केवल यह लिखा जाता है कि यह दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की अपवाद की श्रेणी में आते है। जबकी नियमानुसार यह होना चाहिये कि उनके द्वारा पारित निर्णय स्पीकींग होना चाहिये जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि जिन दस्तावेजों की प्रति मांगी गई है वे सूचना के अपवाद की श्रेणी में कौन से कारणों की वजह से नहीं आते हैं तथा अपने निर्णय में उन सभी कारणों का युक्तियुक्त तरीके से विवरण दिया जाना चाहिये ।

सूचना आयुक्त ए.एन.तिवारी अपने अधिकांश निर्णय में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं करते है जिसकी वजह से उनके निर्णय हमेशा अवैधानिक, मनमाना होने के कारण शून्य ही है।

हाल ही में सूचना आयुक्त ने एक निर्णय ऐसा ही पारित किया गया जिसमें आवेदक के द्वारा ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी में प्रायोजित लाखों रुपयो के आर्थिक घोटाले से संबंधी जानकारी मांगी कि रतलाम स्थित मण्डल कार्यालय में वर्ष २००१ में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित–झाबुआ के द्वारा अपने खातेदोरों का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा करवाया था। जिसके लिये बैंक के द्वारा रुपये-१७,४९,४८०/–का प्रीमियम जमा करवाया गया था। इससे संबंधी जानकारी मांगी गई कि उक्त प्रिमियम आने के पश्चात बैंक को जारी पॉलिसी, रसीद तथा इस बिजनेस का क्रेडिट किस विकास अधिकारी को दिया गया इससे संबंधीत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। यह पॉलिसी वर्ष २००१ से २००४ तक ही प्रभावी थी।

दूसरी जानकारी जिसमें इसी कार्यालय के तत्कालीन मण्डल प्रबन्धक एम. के. बुन्देला ने जाली दस्तावेजों के आधार पर एक लाख रुपयों का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी क्लेम बनाया और उसे स्वीकृत कर उस राशी को हडप लिया। मामला पकडे जाने के पश्चात कंपनी के उच्चाधिकारीयों ने इस अधिकारी एवं अन्य अधिकारीयों पर विजिलेंस प्रकरण दर्ज किया व उसकी विभागीय जाँच का नाटक किया और उन्हें केवल १८,०००/–रुपये पेनल्टी दी गई से संबंधी दस्तावेजों की मांग की तथा उनके विभागीय जाँच के दौरान कंपनी के बोर्ड ने ने उन्हें बचाने के लिये उन्हें एस. वी. आर. एस. दे दिया।

इस आरटीआई आावेदन देने के बाद कंपनी के सीपीआईओ पी. के. झा के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने पर इस आवेदन पर प्रथम अपील की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने अधिनस्थ अधिकारी को बचाने की नियत से जानकारी नहीं दी और न ही प्रथम अपील का निराकरण किया। आवेदक ने इसके पश्चात केन्द्रीय सूचना आयोग

शेष पृष्ठ .....८ पर

सूचना के अधिकार के तहत क्या और क्यों जानकारी मांगी गई

वर्ष १९९४-९५ व १९९५-९६ में जिला सहकारी केन्द्रीय बेंक मर्यादित-भोपाल ने अपने यहाँ के खातेदारों का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के भोपाल स्थित कार्यालय से करवाया . इसी प्रकार जिला सहकारी केन्द्रीय बेंक मर्यादित-उज्जैन ने बैंक के सभी खातेदारों का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के उज्जैन स्थित कार्यालय से करवाया.

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र एवं कंपनी के नियमानुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बेंक के इस बिजनेस का क्रेडिट किसी विकास अधिकारीयी या एजेन्ट को नहीं दिया जा सकता था लेकिन इन दोनों बीमा कंपनी के कई अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों ने आपस में सांठगांठ कर उक्त बिजनेस का क्रेडिट विकास अधिकारीयों को दिया तथा उन्हें एजेन्सी कमीशन एवं इनसेन्टीव्ह की राशी देकर कंपनी को सदोष लाखों रूपयों की अनाधिकृत आर्थिक क्षति कारित कर निजि लाभ प्राप्त किया .

इस दोनों मामले में भोपाल की सीबीआई के द्वारा जाँच की गई तथा ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी के लगभग ३० अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों के खिलाफ सी०बी०आई० स्पेशल प्रकरण क्रमांक-०१/२००२ तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के २९ अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों के खिलाफ इन्दौर की सीबीआई अदालत में स्पेशल केस नम्बर-२/२००१ सीबीआई विरूद्ध एन०के० भामावत के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा-४२०, १२०-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-१३ (२) सहपठित धारा १३ (१)(डी) के प्रकरण भी इन्हीं धाराओं के तहत विचाराधीन है.

आवेदक को यह जानकारी मिली जिला सहकारी केन्द्रीय बेंक मार्यादित-झाबुआ ने भी अपने समस्त खातेदारों का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा करवाया एवं कंपनी मण्डल कार्यालय रतलाम को रूपये-१७,४९,४८० का प्रिमियम दिया. तत्कालीन मण्डल प्रबन्धक मनोज कुमार बुन्देला ने अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र एवं कंपनी कंपनी के परिपत्रों के विपरित जाकर एक आपराधिक षड्यंत्र की रचना की और बेईमानीपूर्वक छल करते हुए इस बिजनेस का क्रेडिट एक विकास अधिकारी को दिया जिससे विकास अधिकारी को १५% एजेन्सी कमीशन जो रूपये-२,६२,४२२/-था प्रदान कर कंपनी को इतनी ही धनराशी की सदोष आर्थिक क्षति कारित कर निजि लाभ प्राप्त किया. कंपनी के द्वारा जारी पॉलिसी को भी कूट रचित बनाया गया और यह पॉलिसी का कुछ भाग कम्प्युटर से तथा पॉलिसी के प्रिमियम वाले भाग को टाईपराईटर से टाईप किया ताकि इस पालिसी में एजेन्सी कमीशन के बदले भी १५% छुट की जानकारी किसी अन्य लोगों को पता नहीं चल सके. आवेदक को जब इस अपराध की जानकारी मिली तो उसने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन पत्र देकर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में चाही आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक-२ में यह जानकारी चाही कि -

०१) मण्डल कार्यालय-रतलाम में एक विकास अधिकारी कोड नम्बर-३१०/४३९२ के द्वारा दिनांक-३१.०५.२००१ को प्रीमियम की धनराशी रूपये-१७,४९,४८०/- कार्यालय में दिनांक-३१.०५.२००१जमा कराई गई जिसका कलेक्शन नम्बर-१६०३ था. कार्यालय द्वारा कॉटी गई रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि

०२) प्रिमियम प्राप्त होने पर रतलाम मण्डल कार्यालय ने कौन सी पॉलिसी जारी की गई उस पॉलिसी की प्रमाणित प्रतिलिपि.

०३) इस प्रीमियम की धनराशी रूपये-१७,४९,४८०/-का बिजनेस लाने के कारण उक्त विकास अधिकारी/एजेन्ट को किस माह व कौन सी दिनांक को कितना कमीशन एवं इनसेन्टीव्ह दिया गया. इस विकास अधिकारी के एजेन्ट के मई,जुन एव अगस्त माह के कमीशन बील की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं इनसेन्टीव्ह दिये जाने संबंधी समपूर्ण रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि.

०४) उक्त कमीशन का भुगतान किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया उसका नाम बनाये गये वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि.

इसी प्रकार एक और अन्य जानकारी जिसमें इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले मण्डल कार्यालय-रतलाम में प्रायोजित आर्थिक घोटाले जिसमें कंपनी के एक विकास अधिकारी आर.पी.चौहान ने अपने वरिष्ठ अधिकारीयों मण्डल प्रबन्धक एम.के. बुन्देला, एस.के. मित्तल और कर्मचारीयों फ्रासीस पाटिल एवं बीमाधारक एवं अन्य लोगों के साथ आपस में सगंन्नमत होकर एक आर्थिक घोटाला किया. जिसमें इन सभी लोगों ने एक जे.पी.ए. पॉलिसी क्रमांक-३१०/४७/९७/००१९८ पॉलिसी धारक-पारसिंह दावा क्रमांक-४७/२००१/०००७८ को फर्जी दस्तावेज बनाकर कंपनी के साथ अपराधिक षड्यत्र की रचना कर कूटरचित दस्तावेज बनाकर रूपये-१,०६,२६९ का एक फर्जी दावा तैयार किया और इस धनराशी को मिलकर हड़प लिया व कंपनी को आर्थिक हानि पहुँचाई गई. आर्थिक घोटाले के पकड़े जाने पर कंपनी के सहा.महा प्रबन्धक पी.महाजन व जाँच अधिकारी नवाब महोम्मद नसीर एवं प्रस्तुती अधिकारी जनादन भार्गव एवं कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी डॉ.के.एन. श्रीवास्तव आदि के द्वारा कंपनी में हुए इस अपराध की सूचना पुलिस को नहीं देकर केवल विभागीय जाँच का नाटक किया और इस मामले में दोषी अधिकारीयों और कर्मचारीयों एवं अन्य लोगों को बचाया व इस आर्थिक घोटाले के मुख्य आरोपी एम.के. बुन्देला जिन्हें मेजर पेनल्टी की जार्चशीट दी गई थी का स्पेशल व्ही.आर.एस मंजूर किया गया.

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों व प्रधान कार्यालय-नई-दिल्ली के कार्मिक विभाग के एक उच्च अधिकारी ने निजि लाभ प्राप्त कर इस आर्थिक घोटाले के मुख्य आरोपि एम.के. बुन्देला को बचाने की नियत से स्पेशल व्ही०आर०एस० मंजूर कर उन्हें लाखों रूपयों का भुगतान कर दिया जबकी उन पर विजिलेंस प्रकरण दर्ज था तथा उन्हें मेजर पेनल्टी की चार्जशीट दी गई थी. जबकी कंपनी के कई कर्मचारीयों को इस आधार पर कि उन्हें मेजर पेनल्टी की चार्जशीट प्रदान की गई है उनका स्पेशल व्ही०आर०एस० नहीं दिया गया. आवेदक ने इस संबंध में भी सूचना के अधिकार के तहत आवेदनपत्र देकर उसके बिन्दु क्रमांक-१ में जानकारी मांगी गई.

कंपनी के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पी. के. झा ने आवेदन का निराकरण नहीं किया

पी. के. झा

कंपनी के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने कंपनी में हुए अपराधी अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों को बचाने की नियत से चाही गई जानकारी प्रदान नहीं की और अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग सूचना के अधिकार अधिनियम,२००५ के विपरित जाकर कार्य कर यह साबित कर दिया कि वे बेईमान अधिकारीयों और कर्मचारीयों को संरक्षण प्रदान रहे है.

अपीलीय अधिकारी एवं महाप्रबन्धक एस.के.चानना का प्रथम अपील पर किया गया निर्णय

कंपनी के सीपीआईओ पी.के.झा. ने आरटीआई आवेदन पत्र का निराकरण नहीं करने पर अपीलीय अधिकारी एस.के. चानना प्रथम अपील की गई जिसमें उन्होंने आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक-२ का निराकरण नहीं किया और चाही गई जानकारी के बारे में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया क्योंकि वे जानते थे कि आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी यदि सार्वजनिक की जावेगी तो उन पर भी सीबीआई के द्वारा प्रकरण दर्ज हो जावेगा.

बिन्दु क्रमांक-१ में चाही गई जानकारी की प्रमाणित प्रति के संबंध में उन्होंने आरटीआई एक्ट के विपरित जाकर अनाधिकृत रूप से धनराशी की मांग की तथा एम.के. बुन्देला के स्पेशल व्ही.आर.एस. स्वीकृती की नोटशीट के स्थान पर एक्ट्रेक्ट दिये गये जो इस प्रकार है-

Shri M.K.Bundela, Asst. Manager, R.O.Indore and three other : Major Penalty Charge Sheet dated 03.07.03 issued on the following Articles of charge:

He dishonestly and with malafide intention approved fabricated JPA Claim No.47/2001/00078 for Rs. One lac in favour of Ms. Urmi Bai on the basis of fake claim document like fake Death Certificate, fake panchanama and without calling for basic claim document like FIR and Post Mortem Report.

Department Recommendation: Since he has opted for the pension and this case is not likely to result into the penalty of "Removal from Service" and further keeping in view of the above guidelines the proceedings can continue under the Pension Scheme and as such his SVRS may be accepted by the Board. Further, the amount of financial loss caused to lthe company is to the tune of Rs. 1,06,269/- can be recovered from the pensionary benefits in case the charges are proved in the Department Enquiry and as such the above has been suggested.

केन्द्रीय सूचना आयोग को द्वितिय अपील -

प्रथम अपील के विरूद्ध केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितिय अपील में केवल दो बिन्दुओं जिसमें मण्डल प्रबन्धक एम.के. बुन्देला के एस.वी.आर.एस. के संबंध में बनाई गई नोटिशीट व रतलाम स्थित मण्डल कार्यालय द्वारा जारी पॉलिसी के संबंध में जानकारी चाही थी.

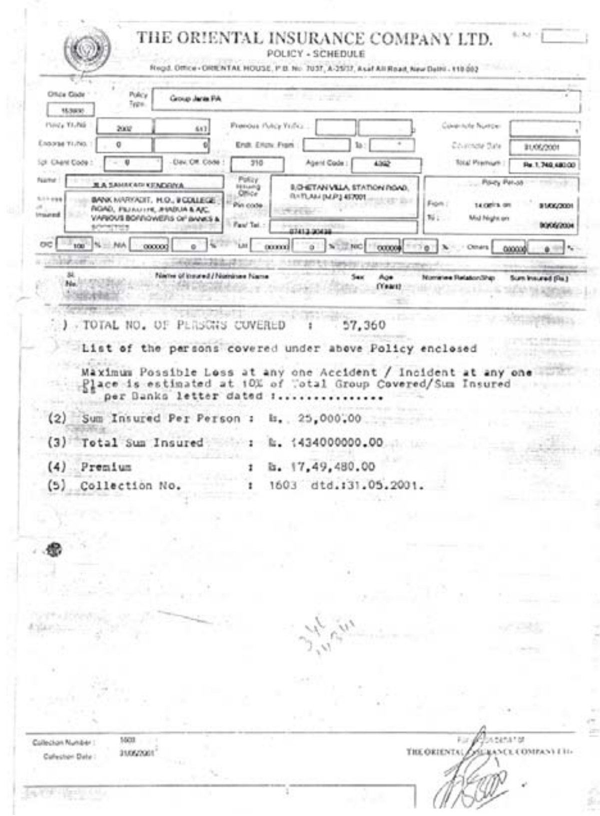

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.
POLICY - SCHEDULE
Regd. Office - ORIENTAL HOUSE, P.B. No. 7037, A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002

Policy Type: Group Janta PA

Policy Yr./No.: 2002 | Endorse Yr./No.: 0 | Dev. Off. Code: 310 | Agent Code: 4362 | Coverage Date: 31/05/2001 | Total Premium: Rs. 1,749,480.00

Name: JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT, H.O., 8 COLLEGE ROAD, JHABUA & A/C. VARIOUS BORROWERS OF BANKS & SOCIETIES

Policy Issuing Office: 8,CHETAN VILLA, STATION ROAD, RATLAM (M.P.) 457001

Policy Period: From: 14 00hrs on 31/05/2001 To: Mid Night on 30/05/2004

) TOTAL NO. OF PERSONS COVERED : 57,360

List of the persons covered under above Policy enclosed

Maximum Possible Loss at any one Accident / Incident at any one Place is estimated at 10% of Total Group Covered/Sum Insured as per Banks letter dated :...............

(2) Sum Insured Per Person : Rs. 25,000.00

(3) Total Sum Insured : Rs. 1434000000.00

(4) Premium : Rs. 17,49,480.00

(5) Collection No. : 1603 dtd.:31.05.2001.

Collection Number: 1603
Collection Date: 31/05/2001

For & on behalf of THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.

जिला सहकारी केन्द्रीय बेंक मर्यादित-झाबुला को जारी ग्रुप जनता पर्सनल की पॉलिसी जिसे केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने कमरशीयल कानफीडेंस बताया.

केन्द्रीय सूचना आयुक्त ए.एन तिवारी का विवादित निर्णय दिनांक-१८.०२.२००९

CENTRAL INFORMATION COMMISSION

.....

F.No.CIC/AT/C/2008/00271
Dated, the 18th February, 2009.

Appellant /Complainant: **Shri Ravi Kumar Potdar**

Respondents : **The Oriental Insurance Company of India**

This matter was heard through videoconferencing on 22.12.2008.

Appellant was present at NIC Studio at Indore. Respondents were present at theNIC facility at CIC Office (at New Delhi), from where the Commission conducted the hearing.

2. This second-appeal/complaint originated in the appellant's RTIapplication dated 20.04.2007. The present appeal is limited to 2 items of queries contained in appellant's RTI-application. These are queries at Sl.Nos.6(1)(h) and 6(2), which read as follows:-

एच. तत्कालीन मण्डल प्रबन्धक श्री एम.के. बुन्देला को कंपनी के प्रधान कार्यालय के द्वारा इस मेजर पेनल्टी की चार्जशीट मिलने के पश्चात भी वीआरएस दिया गया. इस वीआरएस को स्वीकार करने के संबंध में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर/कंपनी के सीएमडी/कंपनी के सीवीओ द्वारा बनाई गई नोटशीट की प्रमाणित प्रति.

०२. मण्डल कार्यालय-रतलाम में एक विकास अधिकारी कोड नम्बर-३१०/४३९२ के द्वारा दिनांक-३१.०५.२००१ को प्रीमियम की धनराशी रूपये-१७,४९,४८०/- कार्यालय में दिनांक-३१.०५.२००१जमा कराई गई जिसका कलेक्शन नम्बर-१६०३ था. कार्यालय द्वारा काँटी गई रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा उक्त प्रिमियम प्राप्त होने पर रतलाम मण्डल कार्यालय ने कौन सी पॉलिसी जारी की गई उस पॉलिसी की प्रमाणित प्रतिलिपि. इस प्रीमियम की धनराशी रूपये-१७,४९,४८०/-का बिजनेस लाने के कारण उक्त विकास अधिकारी/एजेन्ट को किस माह व कौन सी दिनांक को कितना कमीशन एवं इनसेन्टीव्ह दिया गया. इस विकास अधिकारी के एजेन्ट के मई,जुन एव अगस्त माह के कमीशन बील की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं इनसेन्टीव्ह दिये जाने संबंधी समपूर्ण रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि. उक्त कमीशन का भुगतान किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया उसका नाम बनाये गये वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि.

3. As regards information requested by the appellant at query at Sl.No.6(1)(h), it is directed that the requested information be provided to the appellant within three weeks of the receipt of this order. CPIO pointed out that some of these items of information could be sensitive and may have a bearing on the commercial interest of the public authority and may even have third-party implications. It is directed that the information may be disclosed to the appellant after suitably blocking out portions which might attract the exemptions under Section 8(1) of the RTI Act. This may be done under Section 10(1) of the Act.

4. As regards query at Sl.No.6(2), respondents claimed commercial confidence for disclosure of this item of information under Section 8(1)(d) of the RTI Act. The public authority is a commercial entity and is entitled to hold certain categories of information confidential to preserve its commercial interests. Details of insurance policies, incentives and rewards to Development Officers for bringing in business, etc. are doubtless information, which if disclosed, would impair the Company's competitive interests vis-à-vis other's in the market. Its disclosure cannot be authorized under Section 8(1)(d) of the RTI Act.

5. Appeal disposed of with these directions.

क्रिटिकल एनालिसिस

केन्द्रीय सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी के निर्णय का निर्णय मनमाना, अनुचित और अन्यायपूर्ण होकर विधि के सिद्वान्तों के विपरित क्यों ?

सूचना का अधिकार अधिनियम,२००५ को इसी उद्देष्य के लिये बनाया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी तंत्र में लोकधन से वेतन पाने वाले लोकसेवक अपने कार्यकलापों में किस प्रकार का कार्य करते है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह जानकारी बीमा कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी एम.के. बुन्देला जिन्होंने अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग बेईमानीपूवक आशय से कूटरचित दस्तावेज बनाकर एक लाख रुपयों का फर्जी दावा तैयार कर उस दावा राशी को अपने साथी अधिकारीयों व बीमाधारक के साथ मिलकर हडप लिया। मामला पकड़े जाने पर विजिलेंस प्रकरण दर्ज हुआ व विभागीय जाँच चलते कंपनी के बोर्ड ने उनका स्पेशल वीआरएस स्वीकार कर उन्हें लाखों रुपयो का भुगतान कर दिया। सूचना के अधिकार के तहत इस अधिकारी के व्हीआरएस स्वीकार करने के संबंध में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर/कंपनी के सीएमडी/ कंपनी के सीवीओ द्वारा बनाई गई बनाई गई नोटशीट की प्रमाणित प्रति मांगी। जिस पर सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी के द्वारा अपने निर्णय में यह लिखा कि-CPIO pointed out that some of these items of information could be sensitive and may have a bearing on the commercial interest of the public authority and may even have third-party implications. It is directed that the information may be disclosed to the appellant after suitably blocking out portions which might attract the exemptions under Section 8(1) of the RTI Act. This may be done under Section 10(1) of the Act. सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिये लागू किया है कि प्रत्येक नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि प्रत्येक सरकारी तंत्र के लोकसेवक क्या कर रहे है। पब्लिक अर्थोरिटी के द्वारा ऐसा कौन सा कृत्य किया गया है जिसे इडीट कर जानकारी दी जा रही है। केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किये बगैर अपने आदेश में कंपनी के सीपीआईओ के तर्क कि जानकारी सेन्सेटीव है व पब्लिक अर्थोरिटी के कमरशीयल इटरेस्ट और थर्ड पार्टि से संबंधीत है को मानकर नोटशीट को इडीट कर अपीलार्थी को देने वाला निर्णय यही सिद्व करता है कि वे भी कंपनी के पब्लिक अर्थोरिटी बचाना चाहते है।

आवेदक के द्वारा अन्य दस्तावेजों जिसमें कंपनी के मण्डल कार्यालय में दिनांक-३१.०५.२००१ को प्रिमियम की धनराशी रुपये-१७,४९,४८०/-एक विकास अधिकारी के द्वाराजमा किये थे इससे संबंधीत दस्तावेज जिसमें कार्यालय द्वारा कांटी गई रसीद, पॉलिसी व कितना कमीशन व इनसेन्टीव विकास अधिकारी को दिया से संबंधीत थी। जिसे सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार के सेक्शन ८ (१) (डी) अर्थात कमरशीयल कान्फीडेंस बताया और इससे कंपनी की प्रतियोगी स्थिती को नुकसान होना बताया।

द्वितिय अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी को यह बताया था कि उक्त प्रिमियम एक शासकीय बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित-झाबुआ ने बेंक के खातेदारों का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा करवाने हेतु जमा की गई जिसमें कंपनी के अधिकारी एम.के. बुन्देला और एक विकास अधिकारीने अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग कर उक्त प्रिमियम की धनराशी का क्रेडिट एक विकास अधिकारी को दिया और उसे लाखों रुपयो का एजेन्सी कमीशन देकर बेईमानीपूर्वक छल किया और कूटरचित दस्तावेज बनाये निजि स्वार्थ की पूर्ति की। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार के बिजनेस का क्रेडिट किसी विकास अधिकारी अथवा एजेन्ट को नहीं दिया जा सकता है इसी प्रकार के दो अन्य प्रकरण जिसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन और भोपाल के द्वारा इसी प्रकार का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी और ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी में कराया गया जिसकी प्रिमियम का क्रेडिट विकास अधिकारीयों को दिया गया जिन पर भोपाल की सीबीआई अदालत द्वारा जाँच के पश्चात सीबीआई अदालत इन्दौर और भोपाल में लगभग ६० अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों पर आपराधीक मुकदमा विचाराधीन है । इस संबंध में अपीलार्थी ने द्वितिय अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय की प्रोसिडिंग व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ का निर्णय भी रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया। सूचना आयुक्त ने अपीलार्थी को इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने का कहा। अपीलार्थी ने दिनांक-२४.०३.२००८ को इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में जानबूझकर कंपनी के अपराधी अधिकारी एवं उन्हें संरक्षण देने वाले उच्चाधिकारीयों को बचाने की नियत से उक्त जानकारी को कमरशीयल कान्फीडेस बताया और रिकार्ड पर लिये गये शपथ पत्र को जानबूझकर नजरअंदाज कर अपने निर्णय में इसका हलवा नहीं दिया विचार नहीं किया। जबकी उक्त जानकारी कंपनी में हुए अपराध से संबंधीत है व इसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है तथा अपीलार्थी की और से लिखित बहस में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ८ (२) का हवाला देते हुए यह लिखा कि यदि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है तो धारा-८ (१) के सभी अवपाद लागू होने पर भी दस्तावेजों देना आवश्यक है। सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में चाहे गये दस्तावेज को कमरशीयल कान्फीडेंस बताया लेकिन उन्होंने अपने इस निर्णय में किसी भी प्रकार का स्पीकींग आदेश कि उक्त जानकारी कमरशीयल कान्फीडेंस की श्रेणी में कैसे आती है इसका उल्लेख नहीं किया। इस संबंध में स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बक्तावरसिंह ए. आई. आर. १९९१ एस. सी. २०८३ के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनाख्यापक आदेश या नानस्पींकीग आदेश से यह शंका उत्पन्न होती है कि आदेश मनमानापूर्ण अथवा अवैधानिक है।

कृष्णास्वामी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया १९९२ एस. सी.सी. ६०५ में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कानूनी/लोक प्राधिकारी/अभिकरण द्वारा कारण का उल्लेख नहीं किया जाना, उनके द्वारा किये गये निर्णय को मनमाना, अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं अनुच्छेद १४ व २१ का अतिक्रमणि करने वाला है। केन्द्रीय सूचना आयुक्त ए. एन. तिवारी के द्वारा परित आदेश पूर्णत: मनमाना, अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं अनुच्छेद १४ व २१ का अतिक्रमणि करने वाला है। क्योंकि उन्होंने चाहे गये दस्तावेजों को कमरशीलयल कॉफीडेंस की श्रेणी में क्यों आते है यह बात स्पष्ट करना थी।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पी. के. झा को पेनल्टी

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पी.के.झा को इसी प्रकरण में सूचना आयोग द्वारा उनके द्वारा जानबूझकर की गई गलतियों के कारण उन्हें १६,२५० रुपये की पेनल्टी दी गई. आयोग ने अपने निर्णय के पैरा-९ व १० में यह लिखा कि-

09. Upon perusing the documents submitted before me, it is noticed that the above-mentioned delays have occurred in disposing of the appellant's RTI-application and his first-appeal. The delay by the CPIO (i.e. 65 days) is far too glaring to be overlooked, and coupled with his unsubstantiated statement that the information sought being voluminous needed time to be collected from various offices, the default assumes serious proportions.

10. It is, therefore, directed that a penalty of Rs.16,250/- (@ s.250/- per day for 65 days) be imposed on the CPIO, Shri P.K. Jha for delayed provision of information to the appellant. The penalty amount shall be recoverable in three monthly instalments (of Rs.5,000/- for first two months and Rs.6,250/- for the third-month) from the monthly pay-bills of Shri P.K.Jha, Deputy General Manager, starting from the monthly salary of March, 2009. The methodology of crediting the penalty amount is explained at **Annexe.**

को द्वितिय अपील की। द्वितिय अपील करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील का निर्णय लिया । जिसमें उन्होंने जान बूझकर कंपनी में हुए अपराध को छिपाने के लिये मुख्य बिन्दुओं पर निर्णय नहीं लिया।

केन्द्रीय सूचना आयोग में इस प्रकरण की द्वितिय अपील की सुनवाई दिनांक-२४ सितम्बर २००७ को नई-दिल्ली में रखी गई। जिसमें अपीलार्थी और कंपनी के लोक सूचना अधिकारी पी.के. झा व उनके साथ एक अन्य अधिकारी उपस्थित हुए और पी.के. झा ने सूचना आयुक्त को अपनी और से लिखित पक्ष रखने का निवेदन किया जिसे आयोग ने स्वीकार किया।

इसी प्रकरण की सुनवाई दिनांक - १९.१२.२००७ को पुन: रखी गई। जिसमें कंपनी के लोक सूचना आयुक्त पी.के. झा को उनके द्वारा आयोग को प्रस्तुत लिखित पक्ष की प्रति अपीलार्थी को देने का कहा और प्रकरण की सुनवाई दिनांक-२०.०३.२००८ को रखी गई। इस दिनांक को अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी एक प्रति कंपनी के सीपीआईओ को दी गई । इस लिखित बहस के साथ अपीलार्थी ने वे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किये जो यह दर्शात है कि चाही गई जानकारी कंपनी में अधिकारीयों द्वारा किये गये अपराध से संबंधीत है तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भोपाल और इन्दौर की सीबीआई अदालत में न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी एवं ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के लगभग ६० अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों पर आपराधीक मुकदमा विचाराधीन है। सूचना आयुक्त ने अपीलार्थी के लिखित बहस के साथ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को जानबूझकर केवल कंपनी के अधिकारीयों को बचाने मामले को लंबान में करने की नियत से अपीलार्थी को इस संबंध में शपथ पत्र देने का निदेश दिया। अपीलार्थी ने सूचना आयुक्त के निर्देश पर दिनाक-२४.०३.२००८ को चाहे गये दस्तावेज अपराध से संबंधीत है तथा इसी मामले में किस प्रकार ये दस्तावेज अपराध से संबंधीत है अपना तीन पृष्ठीय विस्तृत शपथ-पत्र सूचना आयुक्त को भेजा।

दिनांक-१६.१०.२००८ को प्रकरण की सुनवाई निश्चत की गई लेकिन अपीलार्थी का स्वास्थ खराब होने से यह प्रकरण दिनांक-२२.१२.२००८ को तय किया गया जिसमें अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस प्रकरण का निर्णय दिनांक-१८.०२.२००९ को पारित किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त केवल कंपनी के अधिकारीयों को मदद कर रहे है तथा उन्होंने अपने निर्णय में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस और उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र का उल्लेख ही नहीं किया और निर्णय पारित कर दिया।

सूचना आयुक्त ने अपने निर्णय में यदि वे अपीलार्थी के शपथ पत्र का उल्लेख करते तो वे किसी भी प्रकार से चाहे गये दस्तावेजों को देने से इंकार नहीं कर सकते थे क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा २ में इस बात को बेहद गंभीरता से लिया गया कि यदि प्रकरण भ्रष्टाचार और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सूचना के अधिकार अधिनियम ८ के सभी अपवाद लागू होने की दशा में भी इन दस्तावेजों को दिया जावेगा। इस इस बात का स्पष्ट उल्लेख अपीलार्थी ने मौखिक व लिखित बहस दोनों में किया गया था। लेकिन सूचना आयुक्त के द्वारा इन तर्के पर विचार नहीं करना यही दर्शाता है कि वे कंपनी के अधिकारीयों को उनके किये अपराधिक कृत्यों की वजह को सार्वजनिक नहीं करना चाहते तथा उन्हें मदद कर केवल अपीलार्थी को परेशान कर यह बताना चाहते है कि वे सूचना आयुक्त है वे कुछ भी कर सकते है । सूचना आयुक्त तिवारी को यह नहीं भूलना चाहिये कि वे एक लोकसेवक है तथा इस पद पर रहकर उन्हें कानून का पालन ही नहीं अपनी मर्यादा में रहना चाहिये। किसी भी लोकसेवकों के कृत्यों को बचाने का दायित्व उनका नहीं है।

सूचना आयुक्त को सूचना के अधिकार अधिनियम की परीधी के बाहर जाकर जिस प्रकार का निर्णय पारित कर रहे है वे उनके व्यक्तिगत मत हो सकता है। उन्हें केवल सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ में उल्लेखित सभी बिन्दुओं को अच्छी तरह समझ कर उनका सही इन्टरप्रीटेशन कर बिना किस पूर्वाग्रह व निष्पक्ष निर्णय पारित करना चाहिये।सूचना आयुक्त ने अपीलार्थी से चाहे गये दस्तावेजों के बारे में दिनांक-२०.०३.२००८ को शपथ पत्र की मांग की गई लेकिन उन्होंने अपने निर्णय में शपथ पत्र का उल्लेख नहीं किया क्या इस प्रकार का निर्णय विधिअनुसार है ?